कार्यालय : जिला एंव सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर

क्रमांक : 75 दिनांकः– 15.07.14

–ः विज्ञप्ति ः–

इस न्यायक्षेत्र में वर्तमान में रिक्त 03 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (जिनमें दो पद अन्य पिछड़ा वर्ग व एक पद अनुसूचित जाति संवर्ग के लिए आरक्षित है) के पद हेतु राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे बेंड पी.बी.–I ग्रेड पे नं. 2 5200–20200 ग्रेड–पे 1700 में राजस्थान सरकार की अधिसूचना एफ, 11(7) एफडी (रूल्स)/2008 दिनांक 12 सितम्बर 2008 के नियम 21 के अन्तर्गत दो वर्ष के परिवीक्षाकाल में देय स्थिर पारिश्रमिक 5400/– रूपये प्रतिमाह पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अन्तर्गत अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आपूर्ति नियमानुसार उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन कर की जावेगी। इन रिक्त पदों पर भर्ती में महिलाओं से संबंधित व अन्य आरक्षण नियमानुसार देय होंगे। इन रिक्तियों की संख्या घट–बढ सकती है। जिस पर नियमानुसार रोस्टर प्रभावी होगा। इस दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थानांतरण से च. श्रे. क. के पद भरे जा सकते हैं।

अभ्यर्थी के लिए निम्न योग्यता होना आवश्यक हैः–

1. **आयु –**

आवेदक, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम तारीख को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिये और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नही होना चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट चाहने वाले अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के संलग्न करना होगा।

2. **वेतन –**

रनिंग पे बेंड पी.बी.–I ग्रेड पे नं. 2, 5200–20200 में वर्तमान में राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. प. 11 (7) वित/(नियम) 2008 दिनांक 12.09.08 के नियम 21 के अन्तर्गत दो वर्ष तक देय स्थिर पारिश्रमिक 5400/– रूपये प्रतिमाह फिक्स देय होगा।

3. **शैक्षणिक योग्यता ः–**

अभ्यर्थी को उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विधालय से कम से कम पांचवी कक्षा उतीर्ण किया हुआ होना चाहिए एवं देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए।

4. **शारीरिक योग्यताः–**

आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय प्रत्याशी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. **आवेदन पत्र –**

अभ्यर्थी को आवेदन सादा कागज पर सुस्पष्ट लेखन में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियॉ सलंग्न करनी होगी तथा आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी को दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करने होंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड व वेबसाईट के अनुसार ही अभ्यर्थी को आवेदन करना होगा।

6. **चरित्र –**

अभ्यर्थी को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण जो छः माह से अधिक पुराने न हो आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्र जारी करने वाला व्यक्ति आवेदक का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए।

7. **पात्रताः–**

शासन सचिव राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक 10 (3) कार्मिक/क–2/75/पार्ट–II दिनांक 29.10.04 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पृष्ठाकंन क्रमांक जनरल/19/मि/1245/2004/1816 दिनांक 30.11.04 के संन्दर्भ में ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.02 या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के पात्र नही होगें तथा पात्रता के सम्बन्ध में नियोक्ता का निर्णय अन्तिम होगा।

8. **आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथिः–**

आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2014 को कार्यालय समय 5.00 बजे सांय तक इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। इस विज्ञप्ति से पूर्व एवं अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को व विशिष्ट छूट प्राप्त अभ्यार्थी को आवेदन पत्र के साथ संबंधित प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

09. **साक्षात्कारः–**

आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाये जावेगें उनके साक्षात्कार की सूची दिनांक 17.08.2014 को 05:00 बजे शाम इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी।

साक्षात्कार दिनांक 13.09.2014 को उक्त सूची में योग्य पाये गये अभ्यार्थियों का जिला न्यायालय परिसर में 10:00 बजे सुबह से लिया जायेगा। साक्षात्कार की पृथक से सूचना किसी भी अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जावेगी तथा न ही इस साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यार्थियों को इस कार्यालय द्वारा कोई यात्रा भत्ता देय होगा। इन तिथियों में प्रशासनिक कारणवश कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी।

अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ सलंग्न की गई सत्य प्रतिलिपियों की मूल प्रति साक्षात्कार के समय लेकर उपस्थित होवें।

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1999 के नियम–24 के अनुसार रिजर्व लिस्ट भी तैयार की जायेगी, जो छः माह तक वैद्य रहेगी। किसी भी प्रकार की सिफारिश करने वाले व दबाव तथा प्रलोभन का प्रयास करने वाले अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के अयोग्य घोषित किया जावेगा।

10. **राष्ट्रीयताः–**

अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजाजन हो या उक्त नियमों के नियम–11 के अनुसार अर्हता प्राप्त हो।

11. **घोषणा पत्रः–**

जिस अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है वह आवेदन करने का पात्र नहीं है। अतः समस्त विवाहित स्त्री/पुरुष इस आशय का घोषणा पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें कि दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात उसके तीसरी सन्तान नहीं हुई है।

12. **विवाह पंजीयनः–**

विवाहित स्त्री/पुरुष आवेदन में अपने पति/पत्नी के नाम उल्लेख करें तथा जिन अभ्यर्थी का विवाह दिनांक 22.05.06 या उसके पश्चात हुआ है वे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें तथा दिनांक 22.05.06 के पूर्व विवाहित हुए अभ्यर्थी निम्नांकित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

प्रपत्र–6

शपथ पत्र

मै ....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती...............................निवासी......................... शपथपूर्वक बयान करता हूँ /करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री..........................निवासी................ ....के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक ....को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

अथवा

मेरा विवाह श्रीमती/श्री.............................निवासी ....के साथ दिनांक................. .... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

अथवा

मैं................................अविवाहित हूँ।

अथवा

मैं..............................विधुर/विधवा हूँ (पत्नि/पति श्री/श्रीमती...........................थी/था एवं जिनका देहांत दिनांक ....को हो गया।)

हस्ताक्षर शपथकर्ता

13. **पेंशन योजना एवं स्थाई परितोषणः–**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–15 (7) एफ. डी. (रूल्स) 97 दिनांक 14.04.2004 के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेशन योजना के सभी नियम लागू होगें तथा राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ 12 (एफ डी) (रूल्स) दिनांक 13.03.06 के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडीकल अटेन्डेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सम्बन्धी सभी नियम लागू होगें।

14. आवेदन पत्रः–

आवेदन प्रक्रिया – इस भर्ती हेतु अभ्यर्थी को कार्यालय की वेबसाइट http://ecourts.gov.in/jaisalmer से दिनांक 15.07.2014 से आवेदन पत्र डाउनलोड कर, समस्त वांछित सुसंगत सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में भरकर अध्यक्ष, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति, जिला एवं सैशन न्यायालय, जैसलमेर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, इसमें अभ्यर्थी का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, स्थायी पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता तथा आरक्षित वर्ग का नाम उल्लेख हो।

आवेदन के अंत में दिनांक सहित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कहीं सेवारत हो तो उसका आवेदन में उल्लेख करें। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित करें। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसकी पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जाएगी।

अभ्यर्थी को आवेदन के साथ निम्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति
3. आरक्षण/आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की प्रति
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र
5. क्र. सं. 11 के अनुसार घोषणा
6. क्र. सं. 12 के अनुसार अपेक्षित शपथ पत्र
7. संबंधित दूरभाष नंबर

अध्यक्ष
चयन समिति (च.श्रे.क.)
सि. न्या. (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक
मजि0, जैसलमेर (राज0)

क्रमांक :– दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश.......................................(राज0)
3. मुख्य न्यायिक मजि0, जैसलमेर
4. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0, पोकरण
5. न्यायिक मजि0, प्रथम वर्ग, जैसलमेर
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकड़ा मुख्यालय–पोकरण
7. जिला कलेक्टर, जैसलमेर
8. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, जैसलमेर
9. कार्यालय प्रति

अध्यक्ष
चयन समिति (च.श्रे.क.)
सि. न्या. (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक
मजि0, जैसलमेर (राज0)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीनतम फोटो

1. नाम अभ्यर्थी :...
2. पिता / पति का नाम :..
3. जन्म दिनांक :..
4. डाक का पूर्ण पता :...
5. वर्ग (अपने वर्ग पर सही (√) करें एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें) :
   सामान्य / अनु. जाति / अनु. जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिला / भूतपूर्व सैनिक / विधवा / परित्यकता / विकलांग।
6. शैक्षणिक योग्याताः...
7. वर्तमान में सेवारत है तो पद, नियुक्ति का दिनांक मय विभाग : पद............................
   नियुक्ति दिनांक ....विभाग / कार्यालय.................................
8. निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम :..
9. विवाह की दिनांक ....
10. संबंधित दूरभाष नंबर ....
11. संलग्न दस्तावेत :
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)
एवं पूर्ण पता

संतान संबंधी घोषणा–पत्र

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी..एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या.............................थी :–

क्र.सं.	नाम	जन्मतिथि
01.		
02.		
03		
04.		

दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्वि हुई/नहीं हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या............................है :–

क्र.सं.	नाम	जन्मतिथि
01.		
02.		
03		
04.		

हस्ताक्षर